नगर निगम, मुरादाबाद।

अति अल्पकालीन ई–निविदा

पत्रांक 423/सम्पत्ति/न0नि0मु0/2019

दिनांक 18.6.19

मुरादाबाद महानगर सीमान्तर्गत पार्किंग स्थलों की पार्किंग शुल्क उपविधि में दी गयी दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 की निविदा दिनांक 25.06.2019 को सायं 04:00 बजे तक ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती है। विस्तृत सूचना, पार्किंग स्थल के नाम एवं निविदा शर्ते बेबसाइट www.e-tender.up.nic.in एवं www.nagarnigammoradadabad.in पर देखी जा सकती है। निविदा फार्म ऑनलाइन भुगतान द्वारा निर्धारित मूल्य जमा कर दिनांक 19.06.2019 से 25.06.2019 की सांय 04:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 26.06.2019 की सायं 04:00 बजे मुख्य कर निर्धारण अधिकारी टाउन हॉल में खोली जायेगी। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी। ई–निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेबसाईट पर ही अपलोड किया जायेगा। निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त बेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है बेबसाईट पर पंजीकरण कभी भी कराया जा सकता है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नही हो पायेगा। निविदा से सम्बन्धित पार्किंग स्थलों का विवरण, निविदा प्रपत्र व निविदा की शर्ते निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	ठेके का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु (जुलाई 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) न्यूनतम निर्धारित धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित
1	2	3	4	5
1	मधुवनी कॉम्पलैक्स विशाल मैगामार्ट	771320	80000	1180
2	पी0एम0एस0 के सामने	306460	31000	1180
3	कम्पनी बाग एकता द्वार	482774	50000	1180
4	पीलीकोठी आवास विकास मार्केट	58850	6000	1180
5	कचहरी परिसर मुख्य द्वारा के सामने (कृष्ण कुंज)	293260	30000	1180
6	टाउनहाल दक्षिण चौराहा	878515	90000	1180
7	पार्श्वनाथ प्लाजा	207900	21000	1180

उपरोक्त के सम्बन्ध मे नियम एवं शर्ते निम्नवत है :–

1. ठेके की अवधि कब्जा प्राप्त होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2019–20 की दिनांक 31.03.2020 तक के लिये होगी।
2. निविदादाता पर पिछली कोई बकाया धनराशि नही होनी चाहिये।
3. निविदादाता/ठेकेदार ठेके को चलाने से सम्बन्धित समस्त व्यय अपने स्तर से स्वयं वहन करेगा, व्यय धनराशि को ठेके की धनराशि मे सम्मिलित नही किया जायेगा।
4. पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल पर अन्य किसी प्रकार का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाना प्रतिबंधित होगा।
5. पार्किंग हेतु स्थल पर खडे किये जाने वाले वाहनो के पार्किंग शुल्क की वसूली नगर निगम मुरादाबाद की पार्किंग शुल्क की नई नियमावली मे उल्लेखित निर्धारित दरो के अनुसार की जायेगी, जो 04 घण्टें की दर से क्रमशः निम्नवत होगी।

साईकिल	–	रू0 5.00
मोटरसाईकिल/स्कूटर	–	रू0 10.00
कार/अन्य हल्के वाहन	–	रू0 20.00

Scanned by CamScanner

6. पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा जो भी वाहन आदि खडे किये जायेंगे उनकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
7. यह कि निविदा मे भाग लेने हेतु निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित जमानत धनराशि का बैंक एफ0डी0आर नगर आयुक्त, नगर निगम के पक्ष मे जमा करना होगा। ठेका स्वीकृत होने की दशा मे जमानत धनराशि ठेके की धनराशि मे समायोजित कर ली जायेगी और अस्वीकृति की दशा मे वापस कर दी जायेगी।
8. यह कि जो निविदादाता सम्बन्धित ठेके के लिये निविदा डालेगा उसमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय निविदादाता की जमानत धनराशि तब तक वापिस नही की जायेगी जब तक की ठेके का अन्तिम निर्णय न हो जाये।
9. यह कि ठेका स्वीकृति की दशा मे सर्वोच्च निविदादाता की निविदा नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति के उपरान्त 03 दिवस मे ठेके की सम्पूर्ण धनराशि नगर निगम कोष मे जमा करनी होगी। अन्यथा की स्थिति मे सर्वोच्च निविदादाता की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और क्रमशः द्वितीय, तृतीय निविदादाता को ठेका दिये जाने का अधिकार नगर आयुक्त मे निहित होगा।
10. प्रत्येक निविदादाता को निविदा पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वर्तमान मे जारी चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (15 लाख रू0 से ऊपर) तथा मूल निवास या निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व पैनकार्ड लगाना अनिवार्य होगा।
11. यह कि निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्य आदेश जारी होने से पूर्व नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध नगर निगम की शर्तो के अनुसार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश जारी नही किया जायेगा और समयावधि उपरान्त स्वीकृत निविदा निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. ठेके समयावधि मे प्राकृतिक आपदा, कर्फ्यू, शहरबन्द आदि अन्य किसी प्रकार की आपदा से ठेकेदार को होने वाली हानि की जिम्मेदारी नगर निगम की नही होगी।
13. यह कि जिला प्रशासन तथा नगर निगम प्रशासन के वाहनो से कोई पार्किंग शुल्क की वसूली निषेध होगी।
14. ठेके के सम्बन्ध मे केन्द्र/राज्य सरकार का कोई अतिरिक्त कर यदि ठेके पर आरोपित किया जाता है तो, उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
15. पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा पार्किंग/पार्किंग दरों का सूचना पट लगाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित शुल्क की रसीद छपवाकर उपभोगता को देनी होगी।
16. उपरोक्त के अतिरिक्त किसी वाद/विवाद की स्थिति मे नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
17. निविदादाता को आयकर की धारा–206(C) के अन्तर्गत 02 प्रतिशत TCS का शुल्क अलग से देय होगा।

नोट :–

निविदा क्रय करने से पूर्व पार्किंग हेतु जमानत धनराशि पृथक–पृथक मूल एफ0डी0आर0 नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद के नाम बन्धक कर निविदा बॉक्स में डालने के उपरान्त ही क्रय की जा सकती है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :–

1. मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक नगर आयुक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश से कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायें।
4. श्री अनुज कुमार सिस्टम मैनेजर (आउटसोर्सिंग) को वेवसाइट www.nagarnigammoradabad.in तथा https:// etender.up.nic/ पर अपलोड कराने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

18.8.17

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

Scanned by CamScanner